

न्याय तक पहुँच के अधिकार की सीमाएँ

प्रलिस के लयः

भारतीय न्यायपालका, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायक नयकत आयोग, वशष अनुमत याचका

मेन्स के लयः

लंबतः वाद, मूल अधिकारों पर युक्तयुक्त प्रतर्बध, भारतीय न्यायपालका से संबंढतः प्रमुख मुद्दे

[स्रोत: लाइवलो](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) द्वारा न्यायक समय और संसाधनों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए एक याचकाकर्त्ता पर अनावश्यक मुकदमेबाजी के लयः जुर्माना लगाया गया ।

- इस मामले से वधकः प्रणाली के दुरुपयोग पर प्रकाश पड़ता है, जसमें याचकाकर्त्ता ने सेवा बरखासतगी को रद्द करने के लयः बार-बार आधारहीन याचकाएँ दायर कीं ।

न्याय तक पहुँच के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?

- मामले की पृष्ठभूमः याचकाकर्त्ता ने बार-बार खारजः होने के बावजूद औद्योगक न्यायाधकरण, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय सहतः कई मंचों पर कदाचार के आधार पर अपनी बरखासतगी को चुनौती दी ।
 - अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचकाओं को खारजः करते हुए फोरम शॉपगः के लयः उस पर जुर्माना लगाया ।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरःणयः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कः यदयपः न्याय तक पहुँच का अधिकार एक मूल अधिकार ([अनुच्छेद 21](#)) है, परंतु यह नरःपेकष नहीं है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कः अनावश्यक याचकाओं से न्यायक समय बरबाद होने एवं न्याय में देरी होने के साथ वधकः प्रणाली की शुचतः पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।
- न्याय तक पहुँच के अधिकार पर न्यायक नरःणयः
 - [\[2016\] 14 SC 1](#), 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टः की कः न्याय तक पहुँच अनुच्छेद 21 और 14 के तहत एक मूल अधिकार है और इसके द्वारा न्याय तक पहुँच के लयः 4 प्रमुख घटकों की पहचान की गईः
 - प्रभावी न्यायक तंत्र ।
 - दूरी के संदर्भ में उचतः पहुँच ।
 - त्वरतः नरःणय ।
 - न्यायक प्रक्रया तक सुलभ पहुँच ।
 - [\[1996\] 3 SC 1](#), 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने जासूसी के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे एक सेवानवृत्त नौसेना कप्तान की याचकाएँ खारजः कर दीं ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव के कारण उनके धोखाधडी के दावों को खारजः कर दया, न्यायक अंतमःता को बरकरार रखा और यह नरःणय दया कः बःनः नए साक्ष्यों के उच्च न्यायालय के फैसलों को अंतहीन चुनौती नहीं दी जा सकती ।

और पढ़ेंः [सर्वोच्च न्यायालय ने SLP नपःटान को प्राथमकःता दी](#)

न्याय तक पहुँच के अधिकार से संबंढतः प्रावधान क्या हैं?

■ संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार): अनुच्छेद 14 वधि के समक्ष समता और वधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या न्याय तक पहुँच के अधिकार को शामिल करते हुए की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी व्यक्तियों को बर्ना कसिी भेदभाव के वधिक संरक्षण पाने का समान अवसर मिले।
- अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तगत स्वतंत्रता का अधिकार): अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी शकियतों के लिये न्यायिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार उनकी व्यक्तगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है।
 - अनुच्छेद 39A (निःशुल्क वधिक सहायता): अनुच्छेद 39A निःशुल्क वधिक सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कसिी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न होना पड़े।
 - इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना है, यह विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों पर केंद्रित है।
 - अनुच्छेद 32 और 226: अनुच्छेद 32 और 226 पीड़ित पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर न्याय तक पहुँच के अपने अधिकार को लागू करने की अनुमति देता है।

■ वधिक ढाँचा:

- वधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त वधिक सहायता प्रदान करने के लिये नालसा की स्थापना की।
 - अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पात्र समूहों में महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, वकिलांग व्यक्ति और नमिन आय वाले व्यक्ति शामिल हैं, जससे कमजोर आबादी के लिये कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- लोक अदालत अधिनियम के अंतर्गत त्वरित एवं सुलभ विवाद समाधान उपलब्ध कराती हैं।
 - टेली-लॉ हाशारे पर स्थित समुदायों को वधिक परामर्श प्रदान करता है, जबकि ई-लोक अदालत उन लोगों के लिये पहुँच सुनिश्चित करती है जो भौतिक सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ हैं।

■ लोकहति वाद (PIL):

- लोकहति वाद से सुने जाने के अधिकार (locus standi) का वस्तितार हुआ, जससे न केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को अपति जनहितैषी व्यक्तियों या संगठनों को भी अधिकारों को प्रवर्तित करने के हेतु मामले दर्ज कराने की सुविधा मिली।
- उदाहरण: 1987 दल्लि में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहति वाद था।

1987 दल्लि में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहति वाद था।

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका में मामलों के लगातार लंबित रहने के मुद्दे पर चर्चा कीजिये और इसे हल करने के लिये पर्याप्त उपायों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

1987 दल्लि में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहति वाद था।

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2019)

1. भारत के संवधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।
2. भारत के संवधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वखिंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम वधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश भर में वधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य वधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

प्रश्न. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतपादन में राष्ट्रीय वधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिये। (2023)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/limits-to-the-right-to-access-justice>

